

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्र०क०/23/अ-2/2013-2014

कमलेश्वर युवक एवं समाज कल्याण समिति भोपाल
 अध्यक्ष कन्हैयालाल अमरनानी पुत्र लेखराज अमरनानी
 ...निवासी म.न. 11 सनविला केम्पस वाल्मी रोड चूनामट्टी
 कोलार रोड भोपाल

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक ०७/०५/२०१४)

(मध्यप्रदेश भूराजसंहिता 1959 की धारा 59 व 172 के अन्तर्गत निर्धारण)

आवेदक कमलेश्वर युवक एवं समाज कल्याण समिति भोपाल अध्यक्ष कन्हैयालाल अमरनानी पुत्र लेखराज अमरनानी निवासी म.न. 11 सनविला केम्पस वाल्मी रोड चूनामट्टी कोलार रोड भोपाल द्वारा अपने स्वत्व की ग्राम ग्राम समसपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 71/क/1, 74/घ रकबा क्रमशः 1.619, 0.200, कुल रकबा 1.819 हेक्टेयर भूमि का व्यपवर्तन कराने वादत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

- 2- आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।
 - 2.1 खसरे की प्रतियां ।
 - 2.2 भू-अधिकार अधिनियम पुरितका की छायाप्रति
 - 2.3 शपथ पत्र
 - 2.4 विक्रय पत्र की छाया प्रति
 - 2.5 कार्यालय संयुक्त संवत्सक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा स्वीकृत अभिन्यास क्रमांक 527/एल.पी. 5/आयवर्सन/जिका/न.ग्रा.नि./2014 भोपाल दिनांक 22.03.2014 एवं पत्र क्रमांक 600/एल.पी. 6/आयवर्सन/जिका/न.ग्रा.नि./2014 भोपाल दिनांक 27.03.2014 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु विकारा अनुज्ञा प्रदान की गई जिसका अ०मू०अ०(आयवर्सन) एवं राजस्व निरीक्षक(आयवर्सन) द्वारा मिलान किया गया है।

अधीक्षक भू अभिलेख (आयवर्सन) एवं गलनक नं० मूल दस्तावेजों का मिलान कर पत्र क्रमांक 600/एल.पी. 6/आयवर्सन/जिका/न.ग्रा.नि./2014 भोपाल दिनांक 27.03.2014 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु विकारा अनुज्ञा प्रदान की गई जिसका अ०मू०अ०(आयवर्सन) एवं राजस्व निरीक्षक(आयवर्सन) द्वारा मिलान किया गया है।

प्रश्नाधीन भूमि वाल वर्ष के राजस्व अभिलेखों में आवेदक के स्वत्व में होना पाया गया है।

कार्यालय संयुक्त संवत्सक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास क्रमांक 527/एल.पी. 5/आयवर्सन/जिका/न.ग्रा.नि./2014 भोपाल दिनांक 22.03.2014 एवं पत्र क्रमांक 600/एल.पी. 6/आयवर्सन/जिका/न.ग्रा.नि./2014 भोपाल दिनांक 27.03.2014 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु विकारा अनुज्ञा प्रदान की गई जिसका अ०मू०अ०(आयवर्सन) एवं राजस्व निरीक्षक(आयवर्सन) द्वारा मिलान किया गया है।

अधीक्षक भू अभिलेख (आयवर्सन) द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की गई है।



प्रतिवेदन
 मध्य प्रदेश शासन
 न्यायालय
 हुजूर तहसील
 जिला भोपाल



4- अतः अधीक्षक भू-अभिलेख डायवर्सन द्वारा प्रस्तुत प्रनिवेदन जो इस आदेश का अंश भाग माना जावेगा के आधार पर ग0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 172(1) एव इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आवेदक संस्था के स्वत्व की समसपुरा स्थित भूमि 71/क/1 . 74/घ रकवा कमरा 1.619, 0.200, कुल रकवा 1.819 हेक्टेयर भूमि पर व्यवसायिक दर से पुन निर्धारण रूपय 57446/-वर्ष 13-14 से एवं पंचायत उपकर 28733/-वर्ष 13-14 से प्रतिवर्ष एव प्रीमियम राशि 276148/रूपये एक मुश्त अधिरोपित किया जाता है, तथा निम्नलिखित शर्तों के साथ व्यपवर्तन स्वीकृत किया जाता है।

- 4.1 कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास क्रमांक 527/एल.पी-5/डायवर्सन-/जिका/नग्रनि/2014 भोपाल दिनांक 22.03.2014 एवं पत्र क्रमांक 600/एल.पी.-6/डायवर्सन/जिका/न.ग्रा.नि./2014 भोपाल दिनांक 27.03.2014 में उल्लेखित शर्तों का अक्षरशय पालन करना अनिवार्य होता तथा अनुमोदित अभिन्यास से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
 - 4.2 प्रश्नाधीन भूमि का विकास कार्य करने के पूर्व संबंधित सभी विभागों से आवश्यक अनुमतियाँ लेनी होंगी। कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा दी गई अनुज्ञा के अनुसार मार्ग /खुली भूमि/वृक्षारोपण /निम्न घनत्व आदि के लिये स्थल पर रिक्त भूमि छोड़नी होगी। अनुमोदित अभिन्यास के साथ उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 - 4.3 रेन वाटर हारवेस्टिंग लगाना अनिवार्य होगा।
 - 4.4 स्थल पर विकास /निर्माण करते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य लोक न्यूरोस, व इसकी आसपास स्थित वस्तियों के रहवाशियों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
 - 4.5 प्रश्नाधीन भूमि पर भू-अर्जन की स्थिति में कृषि दर से गुआवजा लेना होगा।
 - 4.6 निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण करना होगा।
 - 4.7 पुन निर्धारण राशि आवेदक द्वारा समय से प्रीमियम 31 मार्च से पूर्व कोषालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
 - 4.8 प्रीमियम राशि एक मुश्त कोषालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
 - 4.9 यदि प्रश्नाधीन भूमि से लगी शासकीय भूमि है तो आवेदक उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा।
- यदि भविष्य में आवेदक कालोनी /व्यवसायिक परिसर विकसित करता है तो जमा प्राधिकारी से कालोनी लाइसेंस नगूल जमापति प्रमाण पत्र एवं कालोनी विकास प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा जमा राशि आवश्यक लोकताया प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर भू-अर्जन एवं किसी प्रकार के स्वत्व विवाद की स्थिति में व्यपवर्तन संबंधी आदेश स्वमेव निरस्त होगा। संबंधित पटवारी तदनुसार राजस्व अभिलेख में मांग कायम करें।

प्रतिलिपि-

1. कलेक्टर महोदय जिला भोपाल की पत्र क्रमांक 2055/जि.प./2010 भोपाल 28.10.2010 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ जिला पंजीयक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार/नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु सूचनार्थ।
4. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. राजस्व निरीक्षक/पटवारी राजस्व अभिलेख में अमल करने हेतु सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

नम्राना रिश्म गाव सधरपुरा प-ह-न-५५
तह हुरा जिला- भोपाळ

[Handwritten scribble]



PS-1/119

[Handwritten signature]

३०-१-१५
मोहन सिंह लवाळा
प-ह-न-५५
तहसील- हुरा, भोपाळ

सत्यप्रतिलिपि

[Handwritten signature]
प्राधिकृत कर्मचारी
बास्ते नारसायण
नरसायण हुरा जिला- भोपाळ

31 JUN 2014





79829145405

ग्राम का नाम **हल्का आमला** र. नि. नं. **फल्दा** तहसील **हुजर** जिला **भोपाल** वर्ष **2012-2013**

क्रमांक	खेजकल (आर पार भूमि खाल में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण को गई हो और देश राजस्व का लगान	किसी भूमिदाता या पट्टदार का या किसी मालिकी फाजलदार के उप पट्टदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे को रकम और उस पट्टे पर विदे गत भाग का खेजकल	खुले के भूमि							खुले के बका के खरीद के लिए लगे	शेखर
				खेजकल जिसमें धंध के दौरान में फसल उगाई गई पट्टे का खेजकल	फसल का नाम	खेजकल	दुबसली खेजकल	पानू एवं को पट्टे	उ में प. एवं लक को पट्टे	अन्य पट्टे का खेजकल		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
७१/क/१	१.६१९	कमलेश्वर युवक एवं ममांज कल्याण समिति भोपाल अध्यक्ष कन्हैयालाल अमरनाथी पुत्र शेखराज अमरनाथी पता नि.भोपाल भूमि स्वामी भू-राजस्व ५.३०		सोदाथी	३१.६१९							रा.प.क्र. ११ आ.दि. १.१२.२०१३ के अनुसार
७१/घ	०.०००	कमलेश्वर युवक एवं ममांज कल्याण समिति भोपाल अध्यक्ष कन्हैयालाल अमरनाथी वसराह नं. ७१/क/१										रा.प.क्र. ११ आ.दि. १.१२.२०१३ के अनुसार

WY



प्रमाणित करने वाले के हस्ताक्षर:
सत्यप्रतिष्ठिति
 प्राधिकृत कर्मचारी
 बायो मारकाट
 भोपाल हुजर भोपाल

6373